भारतीय पुनर्वास परिषद्
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन एक सांविधिक निकाय)
REHABILITATION COUNCIL OF INDIA
(A Statutory Body under the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities)

भारतीय पुनर्वास परिषद्

परिपत्र

7-16/2016-भा.पु.प. .12.2016

निदेशक
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन सम्बंधित राष्ट्रीय संस्थान

विषय :वित्त विहीन सहायता के सतत पुनर्वास शिक्षा (CRE) कार्यक्रम के अनुमोदन की प्रक्रिया के संदर्भ में दिशा निर्देश :

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर कृपया परिषद् के परिपत्र स. 5-14/2016-भा.पु.प./१४४१४५-५३ दिनांक २२/११/२०१६ का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके अंतर्गत सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन प्रदान करने के लिए दिव्यान्गता के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों को अधिकृत किया गया है | भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थानों जिनके द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परीक्षा का दायित्व आप पर है, द्वारा आयोजित वित्त विहीन सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन पर लिए गए निर्णय से परिषद् के उपरोक्त परिपत्र से अवगत कराया गया है |

इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत है :

१. राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा केवल उन संस्थानों के वित्त विहीन सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन पर सम्बंधित संस्थान के निदेशक स्तर पर विचार किया जायेगा जो भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित उन पाठ्यक्रमो का संचालन करते है जिनके परीक्षा आदि से सम्बंधित कार्य आपके राष्ट्रीय संस्थान द्वारा आयोजित किये जाते हैं |
२. केवल उन्ही संस्थानों के सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम, प्रतिभागियों की निश्चित संख्या निर्धारित मानक के अंतर्गत प्रदान किये जाएँगे जो परीक्षा के संबंध में आपके नियंत्रणाधीन हैं एवं उपयोगी विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं |
३. जिन विषयों पर प्रशिक्षण किये जाने की अनुमति है उनका विवरण सलंग्न १ पर उपलब्ध है | उक्त के अतिरिक्त यदि कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय जिसे राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक अनुमोदित करें, पर भी कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेंगे परन्तु ऐसे विषयों को भारतीय पुनर्वास परिषद् की सूची में सम्मिलित कराने का उत्तरदायित्व सम्बंधित राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक पर होगा जो औचित्य प्रस्तुत कर उक्त विषय को भी परिषद् की सूची में सम्मिल्लित कराएँगे ताकि उस विषय पर देश के अन्य भागों में भी सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किये जा सकें |
४. सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम स्वीकृत करने के पूर्व सम्बंधित संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रारूप पत्र पर आवेदन दिया जाना होता है जो आपकी सुविधा के लिए सलंग्नक २ पर उपलब्ध है | उक्त के अतिरिक्त संस्थानों को सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम के लिए विषय, पृष्ठभूमि एवं औचित्य, कार्यक्रम का लक्ष्य, कार्यक्रम का विवरण प्रतिभागियों एवं विशेषज्ञ वार्ताकारों के नाम, व्यवसायिकों का वर्गीकरण तथा उक्त कार्यक्रम से होने वाले शैक्षणिक लाभ के बारे में अवगत कराना अपेक्षित होता है जैसा कि इस विषय पर प्रसारित दिशानिर्देश के बिंदु स. ११ में उल्लिखित है |

जारी ....पृष्ठ -२

बी–22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली – 110016
B - 22, Qutab Institutional Area, New Delhi - 110 016
Tel .: 011-2653 2408, 2653 2384, 2653 4287, 2653 2816 Fax : 011-2653 4291
E-mail : rehabstd@nde.vsnl.net.in, rehcouncil_delhi@bol.net.in
www.rehabcouncil.nic.in

Please Recycle

५. एक सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम में अधिकतम प्रतिभागियों की संख्या ३० निर्धारित है परन्तु 10 प्रतिभागियों से कम पर किया गया सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम मान्य नहीं है | केवल ऐसी संस्था सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम कर सकती है जिन्हें परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के संचालन का न्यूनतम 5 वर्षो का अनुभव हो, इन्हें प्रतिवर्ष अधिकतम 3 सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम दिए जा सकते हैं |

६. सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के उपरांत सम्बंधित संस्था द्वारा रिपोर्ट सम्बंधित राष्ट्रीय संस्थान को प्रेषित की जाएगी | राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद् को प्रतिभागियों की सूची सलंग्नक प्रारूप स. 3 के अनुरूप भेजी जायेंगी जिसके आधार पर प्रतिभागियों का सतत पुनर्वास शिक्षा के अंक भारतीय पुनर्वास परिषद् के वेबसाईट पर अंकित किये जाएँगे | भारतीय पुनर्वास परिषद् को प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है | इस संबंध में उचित होगा कि प्रारूप सं. 3 पर संगत सूचना आयोजक संस्थान द्वारा पहले से ही **Excel format** में **soft copy** तथा **hard copy** में मांग ली जाए जिसे सत्यापित कर राष्ट्रीय संस्थान द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद् को भेजी जा सकती है | उक्त सूचना **Excel format** में भारतीय पुनर्वास परिषद् के ई मेल **rehabstd@nde.vsnl.net.in** पर भी भेजने का कष्ट करें |

७. वर्तमान में निमंलिखित राष्ट्रीय संस्थान भारतीय पुनर्वास परिषद् अनुमोदित पाठ्यक्रमों के परीक्षा का आयोजन करते हैं जो सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए अधिकृत होंगे (क) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई (ख) राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चेन्नई (ग) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता। (घ) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून |

८. राष्ट्रीय संस्थानो द्वारा स्वयं आयोजित किये जाने वाले सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम, कार्याशाला आदि का अनुमोदन पूर्व की भाँती भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा प्रदान किया जायेगा | ऐसे सभी प्रस्ताव जिसके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन का आयोजन निहित हो अर्थाथ प्रतिभागियों की संख्या ३० से अधिक हो ऐसे सभी प्रस्ताव भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे|

९. व्यवसायीक संगठन/ विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आदि के द्वारा आयोजित सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम/कार्यशाला/सम्मलेन आदि पूर्व की भांति भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे|

१०. उपरोक्त दिशा निर्देश आपके सुलभ संदर्भ एवं इस व्यवस्था के समुचित संचालन हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर प्रसारित किये जा रहे हैं | इसमें आपके स्तर से गुणात्मक सुधार हेतु प्रस्ताव आमंत्रित हैं |

यह व्यवस्था पूर्ण रूप से 01.04.2017 से प्रभावी एवं प्रवृत हो जाएगी |

सधन्यवाद

02/12/2016

(एस. के . श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव

सलंग्नक – यथोपरि

संलग्नक – 1

REHABILITATION COUNCIL OF INDIA

Proposal for Continuing Rehabilitation Education (CRE) Programme

Proposed Topic (from RCI's approved topics)	Area of Disability	Duration	Proposed Date	Name of the Resource person along with their Professional Qualification and CRR Number	Target Group

Bank Details (in case of financial assistance from RCI):

Name:

Account Number:

Name of the Bank:

Name of the Branch:

Type of Account:

IFS Code:

Signature with seal of the Institution/University

संलग्नक -3

राष्ट्रीय संस्था का नाम :

विषय - सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम की प्रतिभागियों का विवरण

संस्था का नाम :

संस्था द्वारा संचालित भारतीय पुनर्वास परिषद् अनुमोदित पाठ्यक्रम का नाम :

सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम का विषय :

आयोजन की तिथि : स्थान :

1	2	3	4	5
क्र.सं.	प्रतिभागी का नाम	पिता /पति का नाम	भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित योग्यता	केंद्रीय पुनर्वास पंजिकरण संख्या **(CRR No.)**

सूचना प्रदान करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

दिनांक :

पदनाम